# राज्य सूचना आयोग
## बिहार, पटना

के0 संख्या– 35/06–07

विषयः– श्री प्रद्युम्न राय, पार्षद, जिला परिषद्, सिवान का प्राप्त आवेदन–पत्र ।

---

09.11.2006 आवेदन को विचारार्थ आयोग के समक्ष रखा गया। आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए आरक्षी अधीक्षक, सीवान को सूचित किया जाय तथा निदेश दिया जाए कि वे तथ्यों के बारे में अपना कंडिकावार मंतव्य लेकर अपने लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा दिनांक–04.12.06 को प्रातः 11.00 बजे आयोग की होनेवाली सुनवाई में भेजें। आवेदक को सुनवाई में उपस्थित रहने की सूचना दी जाय।

| | | |
|---|---|---|
| (पी0एन0 नारायणन)<br>राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद)<br>राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह)<br>राज्य मुख्य सूचना आयुक्त |

04.12.2006 आरक्षी अधीक्षक, सिवान से कंडिकावार मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ साथ ही लोक सूचना पदाधिकारी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए, ऐसी स्थिति में आरक्षी अधीक्षक, सिवान को सूचित किया जाय कि कंडिकावार मंतव्य के साथ स्वयं उपस्थित हों तथा उनसे पूछा जाय कि क्यों नहीं सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाय। आरक्षी अधीक्षक, सिवान को दिनांक 04.01.07 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपने लोक सूचना पदाधिकारी के साथ उपस्थापित होने के लिए कहा जाय ।

| | | |
|---|---|---|
| (पी0एन0 नारायणन)<br>राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद)<br>राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह)<br>राज्य मुख्य सूचना आयुक्त |

04.01.2007 आवेदक अनुपस्थित थे। आरक्षी अधीक्षक, सिवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे एवं उनके लोक सूचना पदाधिकारी (आरक्षी उपाधीक्षक, सिवान) भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। आरक्षी अधीक्षक ने आयोग के सम्मुख स्पष्ट किया कि उनके द्वारा कंडिकावार मंतव्य पूर्व में भेजा गया था जो आयोग कार्यालय में दुर्भाग्यवश दिनांक 05.12.06 को प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई का आदेश वापस लेने की कृपा की जाय। आयोग द्वारा धारा–20 के तहत कार्रवाई आगे चलाने का अब कोई कारण नहीं है। आरक्षी अधीक्षक ने यह भी बताया कि अंगरक्षक मुहैया करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है। आयोग ने आरक्षी अधीक्षक द्वारा की गयी कार्रवाई के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए यह निदेश दिया कि जिले के सभी लोक प्राधिकारी यथा थाना, अनुमण्डल आरक्षी कार्यालय, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारी की नियुक्ति की कार्रवाई पूरी कर ली जाय एवं इसकी सूचना थानावार आयोग कार्यालय को भी दी जाय। इसका समुचित प्रचार–प्रसार भी जिले के सभी क्षेत्रों में कर दिया जाय।

उपरोक्त आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

| | |
|---|---|
| (मो0 शकील अहमद)<br>राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह)<br>राज्य मुख्य सूचना आयुक्त |